

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस-नोट :-

दिनांक : 24.03.2017

आयोग द्वारा दिनांक 27.03.2017 एवं 28.03.2017 को आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा 2016 के सम्बन्ध में विभिन्न रिट याचिकाओं पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन प्रवेश देते हुए उनके प्रवेश पत्र मय उपस्थिति पत्र आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर जारी कर दिये गये हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाईट से आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) से डाउनलोड कर परीक्षा केन्द्र पर एक पासपोर्ट साईज फोटो एवं मूल फोटो पहचान-पत्र (Original Photo I.D. Card) अपने साथ अवश्य लेकर आवे अन्यथा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित हों। परीक्षा केन्द्र पर रिस्ट वॉच/मोबाईल/अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर नहीं आवें। अभ्यर्थियों को SMS द्वारा भी सूचित कर दिया गया है।

अभ्यर्थी केवल द्वितीय प्रश्न पत्र के हल हेतु नॉन प्रोग्रामेबल ध्वनी रहित तथा सौर उर्जा/बैटरी चालित पाकेट कैलक्यूलेटर अपने साथ ला सकते हैं व उनका प्रयोग कर सकते हैं। उपरोक्त प्रकार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कैलक्यूलेटर/इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रयोग वर्जित होगा।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव